

कार्यालय जिलादण्डाधिकारी, जिला – शाजापुर (म.प्र.)

फोन नं. 073644 226500 ; व्हड 228600 ; व्हड थं 227378
मजपस रु कर्तोरचनत/दपबण्पद


क्रमांक / लायसेंस / 2017 / 339

शाजापुर, दिनांक 16/11/2017

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2-1/2008/1/13 भोपाल दिनांक 19.09.2017 से मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति को सम्मान निधि नियम 2008 के तहत नियम 5(1) में संशोधन कर एक माह से कम कालावधि के लिये निरुद्ध रहे व्यक्तियों को सम्मान निधि की पात्रता नियत की गई है। नियम 15 में संशोधन कर एक माह से कम कालावधि के लिये निरुद्ध व्यक्तियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवधि दिनांक 30.11.2017 तक नियत की गई है।

उक्त पत्र के पालन में ऐसे व्यक्ति जो एक माह से कम अवधि के लिये मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहे हो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में उनके बंदी रहने की आवश्यक जानकारी, शपथ-पत्र प्रमाण आदि नियत प्ररूप पर दिनांक 30.11.2017 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। नियत दिनांक के पश्चात आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे। आवेदक निर्धारित प्रपत्र NIC वेब साइट www.shajapur.nic.in से अपलोड कर सकते हैं या कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।


15/11/17

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
वास्ते जिला दण्डाधिकारी शाजापुर
जिला शाजापुर (म.प्र.)

आवेदन-पत्र का प्रपत्र

नियम 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति अथवा उनकी पत्नी/पति द्वारा सम्मान निधि के लिए आवेदन-पत्र

आवेदक का सत्यापित
फोटो

1. मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति का नाम.
2. पिता/पति का नाम
.....
3. निवास स्थान
ग्राम
पुलिस थाना
जिला
.....
4. मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की पत्नी/पति का नाम तथा उसका पूरा पता.
5. मीसा/डी. आई. आर. के अन्तर्गत निरूद्ध रहने का स्थान एवं अवधि (संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक का प्रमाण-पत्र संलग्न करें).
6. आवेदक का पहचान चिन्ह
.....
7. उस शासकीय कोषालय का नाम जहां से सम्मान निधि लेना वांछित है.
.....

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

मैं सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन में दी गई जानकारी सही है तथा मैं वचन देता/देती हूँ कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 का पालन करूंगा/करूंगी.

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर

नोट.—आवेदक के फोटो का सत्यापन शासन के राजपत्रित अधिकारी से कराया जाना होगा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.